परिपत्र सं.940/01/2011-सी एक्स

फा.सं.262/117/2010-सी एक्स-8

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 14 जनवरी, 2011

सेवा में,

सभी महानिदेशक,
सभी मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एल टी यू समेत)
सभी आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एल टी यू समेत)

महोदय/महोदया,

विषय:- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5क (1क) के प्रावधानों का अनुप्रयोग- के बारे में ।

फा.सं.52/1/2009-सी एक्स-1(खंड) से जारी दिनांक 26.11.10 के परिपत्र सं.937/27/2010-सी एक्स की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें विधि मंत्रालय की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया गया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5(क) की उपधारा (1क) के तहत दिए गए विशिष्ट रोध को ध्यान में रखते हुए विनिर्माता बिना शर्त शुल्क से पूरी तरह मुक्त माल के संदर्भ में शुल्क अदा करने का विकल्प नहीं दे सकता तथा वह निविष्टि पर प्रदत्त शुल्क का सेनवेट क्रेडिट नहीं ले सकता।

2. इसके आगे यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि ऐसे छूट प्राप्त माल पर निर्धारिती कोई धनराशि उत्पाद शुल्क के रूप में अदा करता है तो उसे अधिप्रवाह इकाइयों के लिए "सेनवेट क्रेडिट" के रूप में अनुमत नही किया जा सकता क्योकि निर्धारिती द्वारा प्रदत्त शुल्क को सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 3 के तहत "उत्पाद शुल्क" नहीं कहा जा सकता।

3. छूट प्राप्त माल पर निर्धारिती द्वारा प्रदत्त और क्रेता से "उत्पाद शुल्क" कह कर संग्रहित धनराशि को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11घ के निबंधनों के तहत केन्द्र सरकार के पास जमा करना होगा। इसके अलावा अधोप्रवाह इकाइयों द्वारा ऐसी धनराशि की प्रयुक्त सेनवेट क्रेडिट को भी सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 14 के निबंधनों के तहत वसूले जाने की आवश्यकता है।

4. व्यापार, उद्योग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित सूचना दी जाए।

5. कृपया इस परिपत्र की पावती भेजे।

भवदीय,

(आमिष कुमार गुप्ता)
ओ एस डी (सी एक्स-8)

Scanned by CamScanner